

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /3833 /2023

दिनांक 21.12.2023

श्री हुकमसिंह राजपुरोहित (RJ00173), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर को दिनांक 02.12.2023 से 04.12.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री राजपुरोहित की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
21.12.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2013/8495

दिनांक :21.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर को उनके पत्रांक 744 दिनांक 05.12.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हुकमसिंह राजपुरोहित (RJ00173), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जालोर ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ।

सहायक रजिस्ट्रार